



राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

पत्रांक:-आर0एम0पी0यू0/905/2025

दिनांक:- 45. मई 2025

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,
अलीगढ़।

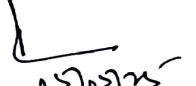
विषय-मा0 उच्चतम न्यायालय में Criminal Appeal No. 1425/2025 (In SLP-Crl.No:-13324/2024) Amit Kumar & Ors. Vs. Union Of India & Ors में पारित आदेश दिनांक 24.03.2025 में उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या रोकथाम के सम्बन्ध में-
विषय,

उपर्युक्त विषय विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-1052/सत्तर-3-2025-70-3008(001)/2/2025 दिनांक 28 अप्रैल 2025 का अवलोकन करने कष्ट करें (संलग्न)। जिसके द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में Criminal Appeal No. 1425/2025 (In SLP-Crl.No:-13324/2024) Amit Kumar & Ors. Vs. Union Of India & Ors में पारित आदेश दिनांक 24.03.2025 में उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या रोकथाम के सम्बन्ध में क्रियात्मक अंश पारित किया गया है। जो उक्त पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय


05/05/25
(वी0के0 सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा/अलीगढ़ मण्डल।
4. संबंधित नोडल अधिकारी।
5. निजी सचिव, मा0 कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।


कुलसचिव



730
28/04/25

R-404
29/04/25

DR
29/04/25

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-3
संख्या-1052/सत्तर-3-2025-70-3005(001)/2/2025
लखनऊ: दिनांक 28 अप्रैल, 2025

कार्यालय जाप

डॉ० विनीत कुमार, सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशा० पत्र सं०-5-21/2025-PN II, दिनांक 05.04.2025 के संदर्भ में अवगत कराना है कि मा० उच्चतम न्यायालय में Criminal Appeal No.1425/2025 (In SLP-Crl.No.-13324/2024) Amit Kumar & Ors. Vs. Union Of India & Ors में पारित आदेश दिनांक 24.03.2025 में उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या रोकथाम के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये गये हैं, जिसमें निर्णय में छात्रों के बीच मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए व्यापक उपायों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। दिनांक 24.03.2025 का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है:-

70. The following shall be the ex-officio members of this Task Force:

i. Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India;

ii. Secretary, Department of Social Justice & Empowerment,
Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India;

iii. Secretary, Ministry of Women and Child Development, Government of India;

iv. Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, Government of India.

71. We direct the Chief Secretaries of all the States/Union Territories to nominate a high ranking officer, not below the rank of Joint Secretary in the Department of Higher Education of the respective State/Union Territory, to act as the nodal officer on behalf of the respective State/Union Territory. We further direct all the concerned departments/ authorities of the respective State/Union Territory to cooperate with the nodal officer concerned and furnish necessary information, data and assistance as may be sought by such nodal officer.

72. The Joint Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India shall act as the convener of the Task Force.

73. The Task Force includes representatives from diverse fields to ensure an interdisciplinary approach to tackling the issue of commission of suicides in Higher Educational Institutions.

83. The Task Force is requested to present an interim report within four months from the date of this order. The final report shall be submitted preferably within eight months from the date of this order.

84. We treat this matter as part heard. The registry shall notify this matter after four months alongwith the interim report of the Task Force before this very Bench (J.B. Pardiwala and R. Mahadevan, JJ.) after obtaining appropriate orders from Honorable the Chief Justice of India.

2- इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने छात्रों के बीच मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं, शिक्षण संस्थानों में आत्महत्या की रोकथाम से संबंधित मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श करने तथा उपायों की सिफारिश करने के लिए न्यायमूर्ति रवींद्र भट, पूर्व न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न क्षेत्रों

के अन्य विशेषज्ञों की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है, जो निम्नलिखित मुख्य विषय पर विचार करेगी:-

- (1) छात्रों द्वारा आत्महत्या करने के प्रमुख कारणों की पहचान करना जैसे शैक्षणिक दबाव, भेदभाव, वित्तीय बोझ और मानसिक स्वास्थ्य कलंक विद्यार्थी कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी।
- (2) छात्र कल्याण तथा मानसिक स्वास्थ्य विनियमों/नीतियों की प्रभावशीलता का विश्लेषण।
- (3) संस्थागत ढाँचे को मजबूत करने तथा शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए सुधारों का प्रस्ताव

3- मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के समादर में टास्क फोर्स के साथ समन्वय करने तथा अनुपालन की देखरेख करने के लिए प्रदेश की ओर से श्री प्रेम कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। नोडल अधिकारी का सेवा विवरण निम्नवत् है:-

नाम	प्रेम कुमार पाण्डेय
पदनाम	संयुक्त सचिव
कार्यालय का पता	15 भूतल, बहुखण्डी भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
मोबाइल नम्बर	9454413316
ई-मेल आईडी0	prempandey6767@gmail.com

Signed by

Girijesh Kumar Tyagi

Date: 28-04-2025 10:33:45
(गिरिजेश कुमार त्यागी)

विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके अर्द्वशा0 पत्र दिनांक 05.04.2025 के अनुपालन में।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को पत्र दिनांक 02.04.2025 के उपयोगार्थ।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- ✓ 5. निजी सचिव, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- ✓ 6. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
7. कुल सचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- ✓ 8. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- ✓ 9. संबंधित नोडल अधिकारी।
10. समस्त उप सचिव/अनु सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. समस्त अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by

Surya Prakash Mishra (सूर्य प्रकाश मिश्र)

Date: 28-04-2025 11:55:42